



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263255  
CG-DL-E-21052025-263255

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2183]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947

No. 2183]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 19 मई, 2025  
सं. 08/ 2025-26

विषय:— वित्त अधिनियम 2025 दिनांक 29.03.2025 के अनुरूप आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत विशिष्ट आइटीसी (एचएस) कोडों की आयात नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2237 (अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा वित्त अधिनियम 2025 दिनांक 29.03.2025 के अनुरूप आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत विशिष्ट आइटीसी (एचएस) कोडों की आयात नीति और नीतिगत शर्तों को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है।

2. आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 में, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ शामिल की जाएगी/प्रतिस्थापित की जाएंगी/हटा दी जाएंगी और नव निर्मित एचएस कोड, उनकी आयात नीति और नीतिगत शर्तें निम्नानुसार अधिसूचित की जाएंगी:

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	नीतिगत शर्त
71069120	---- वजन के अनुसार 99.9 प्रतिशत या उससे अधिक चांदी युक्त	प्रतिबंधित	आयात की अनुमति केवल भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों के मामले में), विदेश व्यापार महानिदेशालय (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों और भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से आयात के लिए आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित अर्हताप्राप्त आभूषणकर्ताओं के माध्यम से ही दी जाती है। सिल्वर डोरे को वास्तविक उपयोगकर्ता (एयू) शर्त के साथ आयात लाइसेंस के अन्तर्गत परिशोधनशाला द्वारा आयात किया जा सकता है।
71069220	---- बार	हटाए गए	
71069221	---- बार:---- वजन के अनुसार 99.9 प्रतिशत या उससे अधिक चांदी युक्त	मुक्त	आरबीआइ विनियमों के अधीन।
71069229	---- बार----- अन्य	मुक्त	आरबीआइ विनियमों के अधीन।
71081200	- गैर-मौद्रिक : -- अन्य अनिर्मित रूप	हटाए गए	
710812	-- अन्य अनिर्मित रूप:		
71081210	---- वजन के अनुसार 99.9 प्रतिशत या उससे अधिक स्वर्ण युक्त	प्रतिबंधित	1. आयात की अनुमति निम्नलिखित माध्यम से है: (i) आरबीआइ द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियां (बैंकों के मामले में) या डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियां (अन्य एजेंसियों के लिए) (ii) भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से अर्हताप्राप्त आभूषणकर्ता (आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित); 2. आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध भारत-यूई टीआरक्यू धारक टीआरक्यू के बदले आइआइबीएक्स के माध्यम से सोने का आयात कर सकते हैं और आइएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड में स्थित आइएफएससीए पंजीकृत वॉल्ट के माध्यम से इसकी वास्तविक संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं।
71081290	---- अन्य	प्रतिबंधित	1. आयात की अनुमति निम्नलिखित माध्यम से है: (i) आरबीआइ द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियां (बैंकों के मामले में) या डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियां (अन्य एजेंसियों के लिए)

			<p>(ii) भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से योग्य ज्वैलर्स (आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित);</p> <p>2. आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध भारत-यूई टीआरक्यू धारक टीआरक्यू के बदले आइआइबीएक्स के माध्यम से सोने का आयात कर सकते हैं और आइएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड में स्थित आइएफएससीए पंजीकृत वॉल्ट के माध्यम से इसकी वास्तविक सुपुर्दगी प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>3. गोल्ड डोर को वास्तविक उपयोगकर्ता (एयू) शर्त के साथ आयात लाइसेंस के अंतर्गत परिशोधनशाला द्वारा आयात किया जा सकता है।</p>
71081300	— गैर-मौद्रिक : — अन्य अर्ध-निर्मित रूप	हटाए गए	
710813	— अन्य अर्ध-विनिर्मित रूप:		
71081310	— वजन के अनुसार 99.9 प्रतिशत या उससे अधिक स्वर्ण युक्त	प्रतिबंधित	आयात की अनुमति केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से ही दी जाती है।
71081390	— अन्य	प्रतिबंधित	आयात की अनुमति केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से ही दी जाती है।
71101110	— अनिर्मित रूप	हटाए गए	
71101111	— अनिर्मित रूप — वजन के अनुसार 99.0 प्रतिशत या उससे अधिक प्लैटिनम युक्त	मुक्त	-
71101119	— अनिर्मित रूप: — अन्य	प्रतिबंधित	-
71101120	— पाउडर के रूप में	हटाए गए	
71101121	— पाउडर के रूप में: — वजन के अनुसार 99.0 प्रतिशत या उससे अधिक प्लैटिनम युक्त	मुक्त	-
71101129	— पाउडर के रूप में: — अन्य	प्रतिबंधित	-
71101900	— प्लैटिनम : — अन्य	हटाए गए	
711019	— अन्य		
71101910	— वजन के अनुसार 99.0 प्रतिशत या उससे अधिक प्लैटिनम युक्त	मुक्त	-
71101990	— अन्य	प्रतिबंधित	-

**अधिसूचना का प्रभाव:**

वित्त अधिनियम 2025 दिनांक 29.03.2025 के अनुरूप आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत नव निर्मित एचएस कोड को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं.1/89/180/36/एम-11/पीसी-2(ए)/पार्ट-VII/ई-34827]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19<sup>th</sup> May, 2025

**No. 08 /2025-26**

**Subject: Amendment in Import Policy and Policy Conditions of specific ITC (HS) codes under Chapter 71 of Schedule –I(Import Policy) of ITC (HS) 2022 in sync with the Finance Act 2025 -reg.**

**S.O. 2237 (E).**— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy and Policy Condition of specific ITC (HS) codes under Chapter 71 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022 in sync with the Finance Act 2025 dated 29.03.2025, with immediate effect.

2. In Chapter 71, ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy), the details of the ITC(HS) codes that have been deleted and the Import Policy and Policy Conditions against the newly created ITC(HS) codes is notified as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Import Policy	Policy Condition
<b>7106</b>	<b>Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi manufactured forms, or in powder form.</b>		
<b>710691</b>	<b>Other :-- Unwrought:</b>		
71069120	Containing 99.9 per cent. or more by weight of silver	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International Bullion Exchange (IIBX).
<b>710692</b>	<b>Other : -- Semi-manufactured</b>		
71069220	Bar	Deleted	

71069221	Bar: Containing 99.9 percent or more by weight of silver	Free	Subject to RBI Regulations.
71069229	Bar---- Other	Free	Subject to RBI Regulations.

<b>7108</b>	<b>Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi manufactured forms, or in powder form.</b>		
<b>710812</b>	<b>-- Other unwrought forms:</b>		
71081200	- Non-monetary: -- Other unwrought forms	<b>Deleted</b>	
71081210	--- Containing 99.5 per cent. or more by weight of gold	Restricted	1. Import is allowed through: (i) Nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or nominated agencies notified DGFT (for other agencies) (ii) Qualified Jewellers (as notified by IFSCA) through India International Bullion Exchange (IIBX); 2. Valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA can import gold through IIBX against the TRQ and can obtain physical delivery of the same through IFSCA registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA.
71081290	--- Other	Restricted	1. Import is allowed through: (i) Nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or nominated agencies notified DGFT (for other agencies) (ii) Qualified Jewellers (as notified by IFSCA) through India International Bullion Exchange (IIBX) ; 2. Valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA can import gold through IIBX against the TRQ and can obtain physical delivery of the same through IFSCA registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA. 3. Gold Dore can be imported by refineries against an import license with Actual User (AU) condition.
<b>710813</b>	<b>-- Other semi-manufactured forms:</b>		
71081300	- Non-monetary: -- Other semi-manufactured forms	<b>Deleted</b>	
71081310	--- Containing 99.5 per cent. or more by weight of gold	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies)
71081390	--- Other	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies)
<b>7110</b>	<b>Platinum, unwrought or in semi manufactured forms, or in powder form.</b>		
<b>711011</b>	<b>Platinum: -- Unwrought or in powder form</b>		
71101110	--- Unwrought form	<b>Deleted</b>	
71101111	--- Unwrought form --- Containing 99.0 per cent or more by weight of	Free	-

	platinum		
71101119	---Unwrought form: --- Other	Restricted	-
71101120	--- In powder form	<b>Deleted</b>	
71101121	--- In powder form: --- Containing 99.0 per cent. or more by weight of platinum	Free	-
71101129	--- In powder form: --- other	Restricted	-
<b>711019</b>	<b>--Other</b>		
71101900	- Platinum : -- Other	<b>Deleted</b>	
71101910	--- Containing 99.0 per cent. or more by weight of platinum	Free	-
71101990	---Other	Restricted	-

### **Effect of the Notification:**

The Import Policy of the ITC(HS) codes under Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy), newly created under the Finance Act, 2025 dated 29.03.2025, is notified with immediate effect.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

**[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/Part-VII / E-34827]**  
AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.